मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

पी.आई.यू. जबलपुर

737, [illegible] 482002

0761 4921421, E-mail mpudcljbp@gmail.com

क्र. ......S95...../म.प्र.अ.डे.कं.लि./2019 जबलपुर, दिनाँक : 23.02.2019

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला - जबलपुर (म.प्र.)

विषय : म. प्र. शहरी सेवा उन्नयन कार्यक्रम (MPUSIP) के तहत पैकेज क्रमांक-5B के सात शहरों के समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कटंगी से मझौली के मध्य वन क्षेत्र में पाईप लाइन बिछाने बाबत् ।

संदर्भ : (1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 663/म.प्र.अ.डे.कं.लि./2019 जबलपुर, दिनांकः 17/12/2018.
(2) कार्यालय का पत्र क्रमांक 775/म.प्र.अ.डे.कं.लि./2019 जबलपुर, दिनांकः 25/01/2019.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि म. प्र. नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत म.प्र.अ.डे.क.लि के द्वारा उक्त कार्य का क्रियान्वयन कराया जा रहा है । इस कार्य को म. प्र. शासन द्वारा एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से निर्माण एजेंसी I.H.P.Co.Ltd., Mumbai द्वारा किया जा रहा है, इस योजना का प्रमुख अवयव जल शोधन संयंत्र लम्हेटाघाट (भेड़ाघाट) में निर्माणाधीन है । जल शोधन संयंत्र लम्हेटाघाट (भेड़ाघाट) से पाईप लाइन द्वारा शुध्द जल क्रमशः भेड़ाघाट, पाटन, तेंदुखेडा, कटंगी, मझौली, पनागर, एवं सिहोरा शहर में प्रदाय किया जायेगा।

एशियन विकास बैंक की शर्तो अनुसार कार्य शासकीय अधिग्रहित भूमि पर ही कराया जाना है, अतः शासन की उच्च स्तरीय समिति द्वारा सड़को के R.O.W. में Utility Corridor में पाईप लाइन बिछाना तय किया गया है । ठेकेदार से अनुबंध के अनुसार यदि पाईप लाइन बिछाने के कार्य में किसी भी संपत्ति को क्षति पहुँचती है तो निर्माण एजेंसी द्वारा मरम्मत कर पुनः बहाल किया जायेगा जिसका भुगतान निर्माण एजेंसी को B.O.Q. के अंतर्गत किया जायेगा ।

अतः कटंगी से मझौली के मध्य वन क्षेत्र में लगभग 1.8 Km. से 4 Km. पाईप लाइन बिछाने का कार्य किया जायेगा। अतः इस कार्य की अनुमति हेतु DFO, जबलपुर को ऑफ लाइन एवं ऑन लाइन आवेदन उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार किया जा चुका है।

- **कृपया वन परिक्षेत्र में सड़क के साईड में पाईप लाईन बिछाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि कार्य बिना अवरोध के सुचारू रूप से समय सीमा से पूर्ण किया जा सके।**

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य का संचालन एवं संधारण अगले 10 वर्षो तक निर्माण एजेंसी द्वारा ही किया जायेगा ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्रों की प्रतिलिपि।

परियोजना प्रबंधक
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
पी.आई.यू., जबलपुर (म.प्र.)

प्रतिलिपि : (1) उप परियोजना संचालक (तकनीकी), म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
(2) डी.एफ.ओ. / एस.डी.ओ. फारेस्ट जबलपुर की ओर सूचनार्थ।